

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची।अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

/राँची, दिनांक - 21/8/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत संचालित कम्प्यूटराईजेशन योजना के तहत जनवितरण प्रणाली दुकानों में पूर्व में अधिष्ठापित 2G ePoS मशीनों के मासिक Service Support के बकाया भुगतान एवं जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवेदकों एवं कार्डधारकों को SMS के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराये जाने पर होने वाले व्यय हेतु कुल रुपये 17,80,97,987.00 (सतरह करोड़ अस्सी लाख संतानवे हजार नौ सौ सतासी रुपये मात्र) के आवंटन के संबंध में।

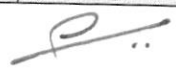
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत संचालित कम्प्यूटराईजेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-434/12 (स्वी०), दिनांक 20.05.2026 द्वारा रुपये 100.00 करोड़ (एक अरब रुपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

- विभागीय संकल्प संख्या-383, दिनांक 11.02.2026 के द्वारा राज्य के सभी जनवितरण प्रणाली दुकानों में ePoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मे० लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड एवं मे० इंटिग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड से विभिन्न चरणों में अधिष्ठापित एवं कार्यरत सभी 2G ePoS मशीनों के लिए माह जनवरी 2026 अथवा 4G Network आधारित ePoS मशीनों के अधिष्ठापन होने तक (दोनों में जो पहले हो) ePoS मशीनों की Service Support प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तारित की गई थी।
- उक्त के क्रम में मे० लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड एवं मे० इंटिग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा माह अप्रैल, 2025 से जनवरी, 2026 तक की अवधि में ePoS मशीनों के Service Support के बकाया भुगतान हेतु विपत्र समर्पित किया गया है। समर्पित विपत्रों के तकनीकी जांचोपरान्त ePoS मशीनों की संख्या के आलोक में ग्रुपवार भुगतान की जाने वाली राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

(राशि रुपये में)

Groups	TSP	OSP	SCSP	TOTAL	भुगतान की जाने वाली राशि
G-1	2,49,61,273.96	1,05,45,195.08	3,32,414.40	3,88,38,883.44	3,88,38,882
G-2	44,73,698.60	5,99,70,590.12	1,89,71,733.20	8,34,16,021.92	8,34,16,022
G-3	5,57,10,924.64	-	-	5,57,10,924.64	5,57,10,923
Total	8,51,45,897.20	7,05,15,785.20	2,23,04,147.60	17,79,65,830.00	17,79,65,827



4. जनवितरण प्रणाली अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण से संबंधित सभी योजनाओं में राशनकार्डधारकों/लाभुकों को सूचित करने हेतु 7 करोड़ SMS की सुविधा प्रतिमाह तथा नये आवेदकों/राशनकार्डधारियों को अपना e-KYC कराने से संबंधित सूचना SMS के माध्यम से दिये जाने हेतु 50 लाख अतिरिक्त SMS की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, राँची से किया गया था।
5. विदित हो कि दिनांक 16.07.2021 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि C-DAC से SMS Pool लेने के संबंध में सभी Co-ordination एवं SMS लेने से संबंधित सभी तकनीकी पहलुओं की पूर्ति सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, राँची स्वयं अपने स्तर से करेगी। विभाग द्वारा SMS प्राप्त करने की प्रक्रिया में C-DAC से वांछित संख्या में SMS प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, राँची को अधियाचित राशि उपलब्ध करायेगी।
6. उक्त निर्णय के आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के पत्रांक 1123, दिनांक 07.08.2026 द्वारा C-DAC से 0.02240 रुपये प्रति SMS की दर से अतिरिक्त 50 लाख SMS प्राप्त करने पर होने वाले व्यय हेतु रुपये 1,32,160.00 (कर सहित) JAP-IT के PL खाता में हस्तांतरित करने की अधियाचना की गई है।
7. उपरोक्त के आलोक में जनवितरण प्रणाली दुकानों में पूर्व में अधिष्ठापित 2G ePoS मशीनों के मासिक Service Support के बकाया भुगतान एवं जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवेदकों एवं कार्डधारकों को SMS के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराये जाने पर होने वाले व्यय हेतु कुल रुपये 17,80,97,987.00 (सतरह करोड़ अस्सी लाख संतानवे हजार नौ सौ सतासी रुपये मात्र) का प्रक्षेत्रवार निम्नवत् राशि आवंटित किया जाता है, जिसकी ऑनलाईन आवंटन की प्रति संलग्न है—

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	शीर्ष/प्रक्षेत्र का नाम एवं कोड	मुख्यालय	निदेशालय	कुल आवंटित राशि
1	मुख्यशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति अन्तर्गत-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-27-कम्प्यूटराईजेशन योजना-03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण (18S34560079627010317)	1,32,160	8,51,45,896	8,52,78,056
2	मुख्यशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति अन्तर्गत-102-सिविल पूर्ति योजना-27-कम्प्यूटराईजेशन योजना-03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण (18S34560010227010317)	0	7,05,15,784	7,05,15,784
3	मुख्यशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति अन्तर्गत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-27-कम्प्यूटराईजेशन योजना-03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण (18S34560078927010317)	0	2,23,04,147	2,23,04,147
कुल		1,32,160	17,79,65,827	17,80,97,987

(सतरह करोड़ अस्सी लाख संतानवे हजार नौ सौ सतासी रुपये मात्र)

8. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय स्तर पर खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं मुख्यालय स्तर पर अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो विभाग द्वारा आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे। मुख्यालय स्तर से राशि की निकासी करते हुए जैप०आई०टी० के PL खाता में राशि हस्तांतरित की जायेगी।
9. वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



11. वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.1998 एवं पत्रांक 1800, दिनांक 15.7.2003 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. राशि की निकासी एवं व्यय के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन तथा व्यय की गई राशि का सत्यापन महालेखाकार, झारखण्ड, राँची से कराकर उसकी सूचना विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाय।

विश्वासभाजन,
21.8.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - खा०प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10-3/2020 - 43 (आव) राँची, दिनांक - 21/8/26

प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैप०आई०टी०, राँची/उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय लेखा शाखा/विभागीय Maker/Checker को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.26

सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

भारत सरकार

Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department

वार्षिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यवहृत निम्नलिखित दशोंए गए बजट शीर्ष के सम्मने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 2/26-COMP.3/43

दिनांक - 21-Aug-2026

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 18 34560010227000317 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 102 - सिविल पूर्ति योजना 27 - कम्प्यूटराइजेशन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : COMPUTERIZATION(0289) Central Scheme : NA	58899	PRJCSP002 MITHILESH KUMAR SECTION OFFICER 17 - कार्यालय उपकरण	70,515,784.00
2	S 18 34560078927000317 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पटक योजना 27 - कम्प्यूटराइजेशन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : COMPUTERIZATION(0289) Central Scheme : NA	58900	PRJCSP002 MITHILESH KUMAR SECTION OFFICER 17 - कार्यालय उपकरण	22,304,147.00
3	S 18 34560079627000317 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 27 - कम्प्यूटराइजेशन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : COMPUTERIZATION(0289) Central Scheme : NA	58896	PRJCSP001 SANJAY KUMAR UNDER SEC.CUM DDO FOOD SUPPLY 17 - कार्यालय उपकरण	132,160.00

योग: रुपये नौ करोड़ उन्तीस लाख बावन हजार इनकाने 92,952,091.00

क्रमिक योग: (RAJESH KUMAR SHARMA)
SECRETARY

पत्र संख्या - 2/26-COMP.3/43

दिनांक - 21-Aug-2026

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 18 34560079627000317 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 27 - कम्प्यूटराइजेशन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : COMPUTERIZATION(0289) Central Scheme : NA	58897	PRJCSP002 MITHILESH KUMAR SECTION OFFICER 17 - कार्यालय उपकरण	85,145,896.00

योग: रुपये स ब करोड़ अस्सी लाख सिलाने हजार नौ सौ सिलाने 85,145,896.00

क्रमिक योग: (RAJESH KUMAR SHARMA)
SECRETARY